बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि0,

समाहरणालय परिसर, किसान भवन, शिवहर

निविदा सूचना

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लि0 के अधीन बिहार राज्यान्तर्गत शिवहर जिला के लिए परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्ता(D.S.D.) की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

डोर स्टेप डिलेवरी के तहत निगम/प्रखंड गोदामों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्नों के परिवहन हेतु अगले तीन वर्षों के लिए परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्ता(D.S.D.)की नियुक्ति हेतु निविदा प्रपत्र की बिक्री, निविदा डालने एवं खोलने की तिथि निम्नवत् है:–

शिवहर जिला हेतु परिवहन, हथालन–सह आपूर्ति अभिकर्ता की आवश्यकता	निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि	प्री0–बिड मिटिंग की तिथि	निविदा डालने की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
03	27.02.2017 से 06.03.2017 तक	07.03.2017	08.03.2017 से 17.03.2017 अप0 3:00 बजे तक	17.03.2017 को अपराह्न 3:00 बजे से

निविदा प्रपत्र क्रय हेतु जिला निगम कार्यालय, शिवहर में उपर्युक्त निविदा प्रपत्र की बिक्री हेतु निर्धारित तिथियों को कार्यालय अवधि में 5000/–(पाँच हजार) रूपये, जो लौटाने योग्य नहीं है, के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निविदा सूचना एवं शर्त निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त करने की जबावदेही निविदादाताओं की होगी। निविदादाता अपनी निविदा उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला कोषागार शिवहर में ड्रॉप बॉक्श में डालेंगे।

1. FCI से SFC के गोदामों तक खाद्यान्न परिवहन के लिए परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता(मुख्य) की नियुक्ति हेतु निविदा में भाग लेनेवाले निविदादाता उसी जिला के लिये डोर स्टेप डिलेवरी के तहत परिवहन, हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्ता की नियुक्तिज की निविदा में भाग नही ले सकते हैं।
2. वैसे व्यक्ति या कम्पनी या फर्म जो राईस मिलर अथवा फ्लावर मिल मालिक है अथवा जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं अथवा जिन पर SFC का कोई बकाया है, वे इस निविदा में भाग नही ले सकते हैं।
3. वैसे परिवहन अभिकर्ता जिन्हें SFC द्वारा Blacklisted किया गया है, वे इस निविदा में भाग नही ले सकते हैं।
4. वर्तमान परिवहन दर के बराबर या उससे कम का दर निविदा में डालना होगा।
5. निबंधन, उत्पाद एवं मध निषेध विभाग(निबंधन) की अधिसूचना 15 फरवरी 2013 के आलोक में लीज वाले प्रत्येक वाहन के लिए 1000/–(एक हजार) रू0 के नन–जूडिशिलय स्टाम्प पेपर पर अलग–अगल एकरारनामा होना चाहिए। एक वाहन का एकरानामा एक ही निविदादाता के पक्ष में होना चाहिए। यदि एक से अधिक निविदादाता के पक्ष में एक ही वाहन का एकरानामा पाया जायेगा, तो उस वाहन से सम्बद्ध सभी निविदादाताओं का निविदा रद्द कर दिया जायेगा।
6. एकरारनामा में दर्ज निबंधित नं0 वाले वाहन से ही खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता के चयन के पश्चात् चयनित निविदादाता द्वारा अपने खर्च पर खाद्यान्न परिवहन हेतु सभी वाहनों पर लोडसेल एवं सक्रिय जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य होगा।
8. डोर स्टेप डिलेवरी में किसी भी परिस्थिति में ट्रैक्टर का उपयोग नही किया जा सकेगा।
9. एक निविदादाता किसी एक जिले के लिए ही निविदा डालेंगे। एक से अधिक जिला के लिए निविदा डालने पर उसकी सभी निविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. एकरानामा 03 वित्तीय वर्ष(दिनांक 31.03.2020 तक) के लिए किया जायेगा, किन्तु कार्य में असफल होने या कार्य संतोषजनक नही होने की स्थिति में एकरानामा समय से पूर्व भी रद्द किया जा सकेगा।
11. निविदा संबंधी सभी आवश्यक जानकारी जिला कार्यालय, शिवहर से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए शिवहर जिला के बेवसाईट–www.sheohar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

16/2/17

जिला प्रबंधक
शिवहर।